अध्याय – 1
कार्य योजना का क्षेत्र एवं कार्य स्थिति

1.1 प्रस्तावना

प्राचीन काल से मानव जाति को बाढ़ की आपदा का सामना करना पड़ता रहा है। प्राचीन समय में इस आपदा को प्रकृति प्रदत्त आपदा के रुप में स्वीकार किया गया था। शनैः शनैः विकास चक्र में बाढ़ को नियंत्रित करने की कार्यवाही को अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। मानव आबादी की वृद्धि के साथ यह आपदा विकराल रुप धारण करती जा रही है। पूर्व समय में नदियों की गहराई तथा आबादी फैले हुए रुप में बसने की स्थिति के कारण बाढ़ से क्षति का क्षेत्र सीमित रहता था। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जहां एक ओर नदी के आस पास भी मनुष्यों को बसने पर विवश होना पडा है, वहीं दूसरी ओर नदियों की गहराई कम होने के कारण नदी के पाटो का फैलाव बढ़ गया है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक जल निकास की रुकावट एवं प्राकृतिक घास के मैदानों की कृषि भूमि में तब्दीली आदि कारणों से बाढ़ की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। विविध कारणों से बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की दशा में जन हानि, पशुहानि एवं सम्पत्तियों की क्षति के बचाव के लिये बाढ़ प्रबंधन योजना को तैयार करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से शासन के संबंधित विभाग तथा अशासकीय स्वैच्छिक संस्थानों की भूमिका को संभावित आपदा की पूर्व की तैयारियों तथा आपदा के पश्चात के बचाव कार्य एवं भविष्य के रोकथाम के उपायों को चिन्हांकित करना है। चरणबद्ध रुप से की जाने वाली कार्यवाहियों को निर्धारित करने से बाढ़ की त्रासदी के प्रभाव को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

1.2 बाढ़ की परिभाषा

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई जल प्रवाह आयोग (International Commission of Irrigation on Drainage) के अनुसार बाढ़ मूलतः नदी–नालों में जल प्रवाह का वह आधिक्य है, जो सामान्य स्थिति को छोड़कर, प्राकृतिक किनारों या मानव निर्मित किनारों (बंधान) के ऊपर से बहता है, जिसके कारण निचले क्षेत्र पानी से घिर जाते हैं । जल स्तर का बढ़ना तथा आबादी, कृषि भूमि, सम्पत्तियों का डूब जाना बाढ़ के प्रभाव की श्रेणी में आता है।

1.3 बाढ़ के कारण

बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कई मूलभूत कारण है, जिसका सबसे प्रमुख कारण मौसम के स्वरुप में आकस्मिक परिवर्तन होना है। सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा या कुछ समय तक नियमित रुप से अधिक वर्षा या दोनो का एक साथ होना भी बाढ़ की स्थिति निर्मित करता है। हिम क्षेत्रों में बर्फ से पिघलकर जल वर्षा जल के साथ मिलकर जल स्तर को उपर करता है। अधिक वर्षा के होने पर बांधों का जल संग्रहण क्षेत्र पूरा भर जाने के पश्चात आधिक्य के जल को बांधों से छोड़ने पर भी बाढ़ आती है। बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण निम्नानुसार है :–

1. नदी नालों के प्राकृतिक किनारों से ऊपर जल प्रवाह की स्थिति।
2. वनों की कटाई।

3. नदियों की गहराई में कमी।

4. सहायक नदियों का जल सामान्य से अधिक मात्रा में मुख्य नदी में मिलने की स्थिति।

5. भूकम्प एवं भूस्खलन नदी के क्षेत्र में होने की स्थिति में।

6. कृत्रिम रुप से नदी के प्रभाव को कतिपय कारणों से रोकने के फलस्वरुप जैसे–बडे पुलों का निर्माण या रेल्वे गेट आदि।

7. सामान्य से अधिक वर्षा या कुछ समय के लिये लगातार अधिक वर्षा।

8. जल निकासी के कमजोर अधोसंरचना वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा।

9. बांधों का टूटना।

10. बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत निर्मित बंधानों का टूटना।

11. तेज हवाओं के चलने के कारण तूफान जैसी स्थिति बनना आदि।

12. मौसम में आकस्मिक परिवर्तन।

13. प्राकृतिक जल निकासी में मानव निर्मित बाधायें।

1.4 बाढ़ प्रबंधन योजना को तैयार करने का उद्देश्य

राज्य की बाढ़ प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ से निपटने के लिये सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाना, प्रमुख नदियों पर बड़े बांधों से पानी छोड़ने के लिये समन्वित जल प्रबंधन योजना तथा बाढ़ की स्थिति में बचाव कार्य एवं राहत तथा पुनर्वास कार्यों की योजना को निर्धारित करना है । राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना के दिशा निर्देशों के आधार पर प्रत्येक जिले द्वारा उनके जिले के क्षेत्र हेतु बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिये।

1.5 राज्य की नदियां एवं बाढ़ की स्थिति का आंकलन

1.5.1 मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं.

1. नर्मदा 2. सोन 3. ताप्ती 4. काली सिंध 5. बेतवा 6. पार्वती 7. बेनगंगा

8. चम्बल 9. सिंध 10. क्षिप्रा 11. तवा. .12. टोन्स 13. टमस 15. केन

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहने वाली नदियों की जानकारी परिशिष्ठ – 1 में दी गई है।

.

.

1.5.2 बाढ़ उन्मुख क्षेत्र

भारत शासन के शहरी विकास मंत्रालय के बिल्डिंग मटेरियल एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन कॉन्सिल द्वारा तैयार किये वलनरेबिलिटी एटलस ऑफ इण्डिया (Vulnerability Atlas of India) के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्यतः बाढ़ की गंभीरतम आपदाओं से प्रभावित होने वाला क्षेत्र नहीं है। तथापि कम समय के लिये यहां की मुख्य नदियों में बाढ़ आती है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में अतिवृष्टि तथा इन नदियों पर बने बांधों के अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने पर बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। राज्य में वर्ष 1982 से वर्ष 2005 की 25 वर्षो की अवधि में 36 जिलों में 6 वर्षों से अधिक वर्षों में बाढ़ का प्रभाव रहा है। इन बाढ़ उन्मुख जिलों को **परिशिष्ट–2** पर दर्शाया गया है।

1.6 प्रबंधन

बाढ़ प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से संबंधित इकाई निम्नानुसार है :–

1.6.1 राज्य स्तर

राहत आयुक्त कार्यालय, राजस्व विभाग नियंत्रक विभाग होगा। इस विभाग के अधीनस्थ आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जो राज्य के विभिन्न विभागों, जिला स्तर, भारत शासन, सेना एवं स्वैच्छिक संगठनों के मध्य आवश्यकतानुसार समन्वय का कार्य करेगा।

1.6.2 संभाग स्तर

संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त द्वारा अधीनस्थ जिलों के मध्य समन्वय का कार्य किया जाएगा तथा राज्य शासन एवं जिला स्तर के बीच सूचना संप्रेषण की भूमिका भी निभाई जाएगी। संभागायुक्त अपने क्षेत्र में मानसून शुरु होने के कम से कम एक माह पहले जिलाध्यक्षों एवं अन्य संबंधित शासकीय विभागों तथा एजेसिंयों की बैठक बुलाकर बाढ़ से बचाव एवं प्रभावी प्रबंधन की कार्यवाही निर्धारित करेंगे।

1.6.3 जिला स्तर

जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा जिले के क्षेत्र के लिये आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी तथा उनके नियंत्रण में इसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय के अधीन आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा, जो कि आवश्यकतानुसार संभागायुक्त कार्यालय एवं राज्य शासन के मध्य सूचना संप्रेषण करना, निर्देशों को प्राप्त करना, जानकारी एकत्रित करना, सामान्य व्यक्तियों को बाढ़ संबंधी सामान्य जानकारी देने आदि का कार्य करेगा। कलेक्टर अपने क्षेत्र में मानसून शुरु होने के कम से कम एक माह पहले बाढ़ समिति का गठन करते हुए समिति की बैठक आयोजित करेंगे। समिति के सदस्यों का विवरण कंडिका 3.2.1 में दर्शाया गया है। इस बैठक में बाढ़ की पूर्व तैयारियों के प्रभावी प्रबंधन की कार्यवाही निर्धारित की जावेगी। जिला स्तरीय बाढ़ समिति की बैठक के पश्चात् कलेक्टर द्वारा जन प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जायेगी।

इस बैठक में जिले के सांसद, जिले के प्रभारी मंत्री, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं जनपद अध्यक्षों को आमंत्रित किया जायेगा। जन प्रतिनिधियों की बैठक में कलेक्टर द्वारा बाढ़ समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करते हुए बाढ़ की आपदा से निपटने की तैयारियों की जानकारी देंगे। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को पुनः बाढ़ समिति की बैठक में रखते हुए क्रियान्वित किया जावेगा।

1.6.4 त्रिस्तरीय पंचायती राज की भूमिका

जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना में ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की भूमिका को चिन्हांकित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका/नगर निगम की भूमिका को भी निर्धारित किया जायेगा। यह कार्य कलेक्टर द्वारा इन संस्थाओं की क्षमता को ध्यान में रख कर किया जायेगा। सामान्य रुप से इन संस्थाओं से अपेक्षा है कि वे अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के जलस्तर बढ़ने–घटने पर नजर रखेगी और समय पर कलेक्टरों को सूचित करेगी, बाढ़ आने पर प्रभावित व्यक्तियों के लिये रहने के स्थान, कपड़ा–दवाई आदि एवं खाने पीने का प्रबंध करेगी तथा इस हेतु जन सहयोग प्राप्त करेगी।

1.7 राज्य स्तरीय विभागों के कार्य एवं दायित्व निर्धारण

बाढ की संभावित आपदा से निपटने के पूर्व उपायों तथा आपदा के होने पर बचाव एवं राहत कार्यों के संचालन में विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रत्येक विभाग/संगठन का कार्यक्षेत्र निर्धारित किए जाने से व्यवस्थित, सुगमतापूर्वक एवं चरणबद्ध रुप से कार्य को संपादित किया जाना संभव हो सकेगा। विभागवार उत्तरदायित्व एवं कार्यों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

1.7.1. राजस्व विभाग

राजस्व विभाग के अंतर्गत राहत आयुक्त कार्यालय विभागाध्यक्ष के रूप में स्थापित है। राहत आयुक्त मध्य प्रदेश ही पदेन प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण एवं मानिटरिंग कक्ष प्रत्येक वर्ष (15 जून से 30 सितंबर तक) वर्षा ऋतु की समायवधि में कार्यरत रहता है। वर्षा की निरंतरता तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रख नियंत्रण कक्ष की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। आपदा के समय नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। राजस्व विभाग आपदा के नियंत्रण तथा राहत कार्य की समस्त कार्यवाहियों के संपादन में समन्वय विभाग की भूमिका निभायेगा। राहत आयुक्त कार्यालय,राजस्व विभाग के कार्यों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. बाढ़ नियंत्रण एवं मानिटरिंग कक्ष का संचालन
2. जिलास्तर, संभागस्तर एवं राज्य शासन के मध्य समन्वय कार्य
3. शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य
4. अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय का कार्य

5. सेना तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ आपातकालीन प्रबंधन एवं समन्वय।

कार्यवार विवरण निम्नानुसार हैः–

1.7.1.1 बाढ़ नियंत्रण एवं मानिटरिंग कक्ष का संचालन

1. प्रतिवर्ष मानसून आने के पूर्व, माह मई के आखरी सप्ताह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत राहत आयुक्त कार्यालय में ''राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण एवं मानिटरिंग कक्ष'' स्थापित करने का निर्णय लिया जायेगा । यह नियंत्रण कक्ष राजस्व विभाग के कक्ष क्रमांक 120 ए प्रथम तल मंत्रालय, भोपाल में 15 जून माह से मानसून के समाप्ति अर्थात 30 सितंबर तक कार्यशील होगा। आपदा के समय यह कक्ष 24 घंटे संचालित होगा।

2. बाढ नियंत्रण एवं मानिटरिंग कक्ष में वर्षाकाल के प्रारंभ होते ही भारतीय मौसम केन्द्र भोपाल से प्रदेश के जिलों में स्थापित वर्षा मापक केन्द्रों से उनको भेजी गई जानकारी के आधार पर दैनिक वर्षा/साप्ताहिक वर्षा की जानकारी एकत्रित की जा कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराई जावेगी।

3. प्रारंभ में नियंत्रण कक्ष का कार्यकाल प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक होगा, जैसे–जैसे वर्षा का व्यापक प्रभाव प्रदेश के जिलों के क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होने लगता है, नियंत्रण कक्ष की कार्यावधि में भी वृद्धि होगी तथा नियंत्रण कक्ष दिन–रात 24 घंटो की अवधि तक कार्यशील होगा। मौसम केन्द्र से समय–समय पर प्राप्त होने वाली मौसम से संबंधित चेतावनियों के आधार पर सूचना निर्धारित की जाकर संबंधित जिलों को टेलीफोन, वायरलैस संदेश, फैक्स अथवा निकमेल संदेश के माध्यम से जानकारी दी जावेगी ताकि परिस्थिति अनुसार जिलों द्वारा कार्यवाही की जा सके।

4. केन्द्रीय जल आयोग, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित नियंत्रण कक्षों से बांध व जलाशयों के जलस्तर, खतरे के जलस्तर तथा अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में बांधों/जलाशयों से छोड़े जाने वाले जल की मात्रा की जानकारी एकत्रित कर प्रभावित जिलों को सचेत किया जावेगा तथा की गई कार्यवाहियों से उच्चस्तर पर अवगत कराया जावेगा।

5. अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बचाव कार्यो को संचालित करने हेतु आवश्यकतानुसार सेना से सहायता, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, सेना मुख्यालय व वायुसेना मुख्यालय इत्यादि से त्वरित संपर्क करते हुए सहायता प्राप्त करनें का कार्य भी किया जावेगा। कक्ष में इन सभी विभागों/एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों के नाम, पोस्टल पता, टेलीफोन नम्बर उपलब्ध रहेंगे।

6. बाढ़, अतिवृष्टि की आपदा के उपरान्त बचाव कार्यो में संलग्न जिला प्रशासन के अमले द्वारा सर्वेक्षण कार्य, राहत वितरण, पुर्नस्थापना व पुनर्वास कार्यो की दैनिक प्रगति एकत्रित कर उच्चस्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया जावेगा। शासन के आवश्यक आदेश/निर्देश प्राप्त कर अधीनस्थ इकाइयों को सूचित करना एवं कार्यपालन की रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।

7. बाढ़ एवं अतिवृष्टि की आपदा के परिप्रेक्ष्य में बचाव एवं राहत कार्यो के संचालन से संबंधित विभिन्न विभागों यथा लोक निर्माण, जल संसाधन, वन विभाग, पशुपालन, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास गृह विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से समन्वय कर, राहत कार्यो का सुचारु रुप से संचालन किया जावेगा।

प्राकृतिक आपदा घटित होने पर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की भूमिका

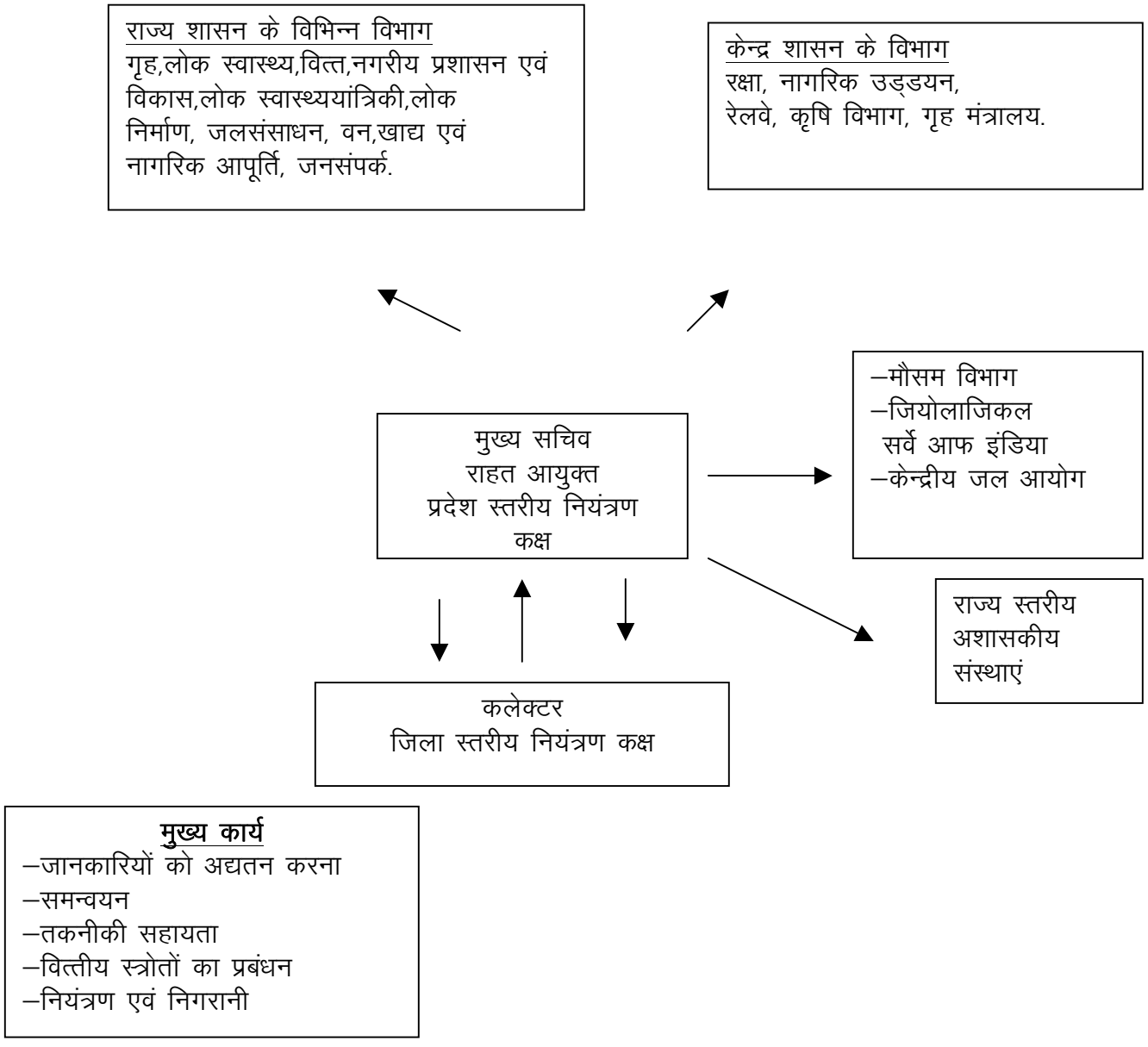

1.7.1.2 जिलास्तर/संभागास्तर एवं राज्य शासन के मध्य समन्वय कार्य

1. जिलास्तर से आपदा के संबध में सूचनाएं प्राप्त करना। कलेक्टर द्वारा जिले के क्षेत्रों के नदी नालों के पानी के स्तर की मानिटरिंग बाढ़ सूचना निर्देशिका के अनुसार की जावेगी। कलेक्टरों द्वारा आपदा के संभावित खतरों की पूर्व सूचना संभागायुक्त एवं राजस्व विभाग को भेजी जावेगी।

2. राजस्व विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त होने वाली प्रारंभिक सूचनाओं के आधार पर आपदा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जावेगी।

3. राज्यस्तरीय संबंधित विभागों के साथ समीक्षात्मक बैठक के पश्चात् आवश्यक निर्देश संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को प्रसारित किए जावेंगे।

4. जिलेवार सामग्री की रिसोर्स इन्वेन्ट्री के आधार पर किसी जिले की संभावित आपदा के आकार का आंकलन करते हुए अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध बाढ़ बचाव सामग्री/ कर्मियों को भिजवाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जावेंगे।

1.7.1.3 शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय कार्य

1. माह मई के अंतिम सप्ताह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित होगी।

2. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजस्व विभाग, गृह विभाग ;पुलिस, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त बैठक में सेना के अधिकारी (सब एरिया भोपाल) होमगार्डस के प्रतिनिधि, जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधि के अलावा भारतीय रेल के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस बैठक में रेडक्रास, यूनिसेफ, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जावेगा।

3. विभागवार कार्यो के निर्धारण के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की जावेगी, तथा आवश्यकतानुसार विभागों एवं जिलों के मध्य कार्यो के संपादन के लिये समन्वय किया जावेगा।

1.7.1.4 अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय का कार्य

1. जिलास्तर पर तैयार की जाने वाली आपदा प्रबंधन योजना में अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जिलास्तर पर एकत्रित जानकारी राजस्व विभाग को प्रेषित की जावेगी।

2. राज्यस्तरीय मुख्य अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठन निम्नानुसार हैः–

    1. भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी

2. यूनिसेफ

3. रोटरी क्लब

4. लायन्स क्लब

5. चेम्बर ऑफ कामर्स

6. अन्य संस्थाएं

3 स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आपदा के समय निरंतर रुप से उनसे संबंधित कार्यो की बैठक आयोजित की जावेगी।

4 आपदा के आकार के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को सूचित करते हुए उनसे सहयोग की अपील की जावेगी।

1.7.1.5 सेना तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ आपातकालीन प्रबंधन एवं समन्वय

1. मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर बाढ़ की आपदा के प्रभाव का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार सेना से मदद प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी सेना से मदद में बचाव सैनिक दल, बाढ़ बचाव सामग्री तथा आवश्यकतानुसार हेलीकॉप्टर की मांग की जावेगी।

2. वर्षा ऋतु के पूर्व राज्य का गृह विभाग सेना की मदद से अतिरिक्त समय में राज्य होमगार्ड एवं पुलिस को बाढ़ बचाव कार्यो का प्रशिक्षण देने की कार्यवाही करेगा।

3. आपदा के प्रभाव की सूचना एवं अतिरिक्त मदद के लिए सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार से संपर्क तथा समन्वय का कार्य किया जावेगा।

4. आवश्यकतानुसार भारत शासन के अन्य विभाग जैसे रक्षा, कृषि, वित्त, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आदि से संपर्क कर समन्वय कार्य किया जावेगा।

1.7.2 लोक निर्माण विभाग

वर्षा ऋतु आरंभ होने के पूर्व सडक, पुलियों के ऊपर पानी के बहाव की संभावना को देखते हुए सामान्य जनता की सुरक्षा हेतु लोक निर्माण विभाग अपने जिला स्तरीय कार्यालयों को निम्नानुसार निर्देश जारी करेगा तथा उनके पालन की स्थिति सुनिश्चित करेगाः–

1. सभी रपटों / जलमग्न पुलियों पर यह संकेत निश्चित रुप से स्थापित किये जाएं कि पुल पर जब पानी हो तो उसे पार न करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रपटों, जलमग्न पुल इत्यादि पर इसी प्रकार के संकेत दोनों ओर उचित स्थान पर अनिवार्य रुप से लगे हों।

2. गार्डस्टोन पर एक लाल निशान सुनिश्चित रुप से अंकित किया जाना चाहिए जिससे कि इस निशान तक पानी आने/रहने पर रपटे या पुल पार नहीं किये जावें।

3. जलमग्न पुलों के दोनों ओर बेरियर्स लगाये जायें व चौकीदार इत्यादि की व्यवस्था की जाए ताकि जलमग्न पुलों पर कोई वाहन या व्यक्ति न गुजरने पाये।

4. बाढ़ के समय पुल–पुलियों व रपटा या मार्ग क्षतिग्रस्त होने या मार्ग अवरुद्धता की निरंतर जानकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी को नियमित रुप से दी जाये एवं स्थानीय बस स्टैण्ड पर भी यह जानकारी सूचनापटल पर आम जनता को उपलब्ध कराई जाए। मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के स्थानीय कार्यालयों को भी उक्त जानकारी भेजी जाय। इसी प्रकार प्रायवेट बस चलाने वाले व्यवस्थापकों को भी जानकारी भेजी जायेगी।

5. पुल–पुलियों व सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत युद्धस्तर पर कराई जाए एवं यथासंभव यातायात शीघ्रता से आरंभ किया जाए।

6. नियमानुसार वर्षा ऋतु पूर्व सभी पुल–पुलियों का निरीक्षण किया जा कर सुधार कार्य किया जावे।

7. प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ के समय जलमग्न पुलों पर तैनात चौकीदारों के रोकथाम के बावजूद जबरदस्ती कर यातायात, पुलों पर से जारी रहता है या निकलने का प्रयास करता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ जाती है या दुर्घटना घटित होने से रोका नहीं जा सकता है। इस दिशा में यह सुझाव है कि जलमग्न पुलों के बैरियर पर पुलिस की सहायता प्राप्त की जावे, पुलिस बल तैनात किया जावे, जिससे कि पुल पर खतरे के निशान के उपर पानी होने पर यातायात दबाव से नहीं निकल सकें एवं दिशा निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित हो सके।

1.7.3 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

1 जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है वहां वर्षाकाल प्रारंभ होने से पूर्व प्रारम्भिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की तैयारी की जावेगी।

2 सर्वप्रथम बाढ़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों तथा चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति में प्रयोग में लायी जाने वाली आवश्यक दवाइयों तथा अन्य चिकित्सकीय सामग्री को जिलास्तर पर सूचीबद्ध करके स्टॉक में अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायगा।

3 बाढ से प्रभावित होने वाली स्थिति में चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ, वाहनों, ड्रायवरों तथा अन्य आवश्यक व्यक्तियों की सूचियां तैयार की जावेगी।

4 मेडिकल टीमों की आवश्यकतानुसार ,वाहन नम्बरवार, चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ, ड्रायवर तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की टीमें गठित की जावेगी।

5 गठित की गयी टीमों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि उन्हें यह स्पष्ट हो कि बाढ़ की स्थिति में किन क्षेत्रों में जाना होगा एवं उन क्षेत्रों में जाकर क्या काम करना होगा।

उन्हें यह भी विदित होना चाहिये कि क्षेत्रों में जाने से पूर्व आवश्यक दवाईयां एवं चिकित्सा सामग्री उन्हें किस से मिलेगी तथा क्षेत्रों में जाने पर उन्हें किस क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क करना होगा । इस हेतु कलेक्टर से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

6 जिलास्तर पर एक यथेष्ठ वरिष्ठता के अधिकारी को कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जाना चाहिये जो बाढ़ से निपटने के लिये विभिन्न संबंधित विभागीय जिलास्तरीय अधिकारियों से समन्वय करता रहेगा और विभाग की जानकारी से कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराता रहेगा।

7 प्रत्येक जिले में सामान्यतः इस कार्य को संचालित करने के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाना चाहिये । विशेष परिस्थिति में कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के किसी सक्षम अधिकारी को भी नोडल अधिकारी घोषित कर सकता है।

8 यह देखा गया है कि कई बार बाढ से प्रभावित क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे संभावित प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र हो सकते हैं जहां चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहता है। स्वास्थ्य विभाग एवं कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वर्षाकाल से पूर्व इन क्षेत्रों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्त स्टाफ अपने मुख्यालयों पर उपलब्ध रहे।

9 उपर्युक्त स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण द्वारा यह जानकारी दे दी जानी चाहिये कि बाढ़ की स्थिति में उसे किस प्रकार कार्यवाही करना होगी।

10 यह भी देखा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से उपलब्ध स्टाफ अपना कार्य संपादित करता है परन्तु क्षेत्रों की जानकारी, संपर्क टूट जाने से वह जिला मुख्यालय को नहीं दे पाता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बडी संख्या में निजी टेलीफोन बूथ बन गये हैं। जगह–जगह पर पूर्व से पुलिस वायरलेस स्टेशन हैं तथा कई स्थानों पर वन, सिंचाई और रेलवे के संपर्क के साधन हैं। ऐसे सभी साधनों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए तथा यह सूचियां संभावित प्रभावित होने वाले क्षेत्र के चिकित्सकों के पास उपलब्ध होनी चाहिये ताकि आपदाकालीन स्थिति में वह इसका उपयोग कर सके। संपर्क के इन साधनो के विभागों की ओर से चिकित्सकों को भी इन साधनों के उपयोग करने की अनुमति की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को दी जानी चाहिए अन्यथा संपर्क का साधन उपलब्ध होते हुए भी चिकित्सक आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग नहीं कर सकेंगें।

11 विभाग के अन्य निर्देशों के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं तथा रोगी कल्याण समितियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से समानान्तर संपर्क स्थापित किया गया है और इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार भी सौंपे गये हैं। ये संस्थायें आपदा से निपटने में विभाग के साथ जिम्मेदारी से भागीदारी करेंगी, जिस हेतु इन्हें भी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना जरुरी है।

12 बाढ़ के समय कई बार विषैले जन्तुओं द्वारा काटने तथा डूबने के कारण मरणासन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति को काफी हद तक एक प्रशिक्षित गैर चिकित्सकीय

व्यक्ति भी सम्भाल सकता है। अतः हर गांव के कुछ समझदार लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया जावे।

13 यह उपयुक्त होगा कि प्रत्येक प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों में ग्रामवासियों की बाढ आपदा समिति का गठन किया जाये जो प्रशिक्षण एवं विभागीय समन्वय का कार्य कर सके। इसमें रोगी कल्याण समिति तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जावे। यह समिति बाढ़ आने पर प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकीय बचाव एवं रोकथाम के कार्य में सहयोग देगी जैसे प्रदूषित पेयजल को पीने योग्य बनाने, उल्टी–दस्त की स्थिति में प्रभावित बच्चों एवं व्यक्तियों को ओ.आर.एस. घोल दिलवाने, गांव के डिपो होल्डर जिसके पास विभाग द्वारा ओ.आर.एस., ब्लीचिंग पाउडर आदि का स्टोर रखा जाता है, के स्टोर को सुनिश्चित करने आदि का कार्य संपन्न करेगी।

14 बाढ़ में उपयोग में आने वाली चिकित्सकीय सामग्री को जिलास्तर के दवा विक्रेताओं के पास उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। प्रतिवर्ष बाढ़ आने से पूर्व जिलाध्यक्ष जिले के कुछ बड़े दवा विक्रेताओं तथा यदि संभावित क्षेत्रों में भी विक्रेता हो तो उनके साथ उनके स्टाक को सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ की स्थिति में भी दवायें खरीदने में कठिनाई न हो। सभी दवाइयां जेनरीक नाम से खरीदी जानी चाहिये तथा आपातकालीन स्थिति में यदि खरीदी की प्रक्रिया में विलंब की संभावना हो तो जिला सरकार या स्थानीय रोगी कल्याण समिति के परामर्श से दवाओं की खरीदी की जा सकती है।

15 संभावित क्षेत्रों के इच्छुक निजी चिकित्सकों व जन स्वास्थ्य रक्षक को भी इस आपदा से निपटने के लिये प्रशिक्षण आदि देकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

16 प्रभावित क्षेत्रों में एक प्रशासकीय अधिकारी को बाहर से आने वाले चिकित्सा दलों की व्यवस्था करने के लिये नामांकित किया जाये तथा उसका नाम फोन नम्बर आदि बाहर से जाने वाले दलों को प्रस्थान से पूर्व सूचित किया जाय।

1.7.4 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

1.7.4.1 बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित हैंडपंप, नलजल/स्थल जल योजनाएं एवं ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिग स्टेशन आदि डूब में आने से उसका पानी प्रदूषित होता है इससे पेयजल व्यवस्था अवरुद्ध होती है। इससे बचाव के लिए राज्यस्तर पर तथा जिलास्तर पर निम्नानुसार उपाय आवश्यक हैंः–

1. बाढ की स्थिति बनने पर, प्रभावित लोगों हेतु लगाये कैम्पों में परिवहन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था।

2. सभी लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध हो इस हेतु क्लोरीन टेबलेट का वितरण एवं उसके उपयोग हेतु प्रशिक्षण।

3. कन्ट्रोल रुम की स्थापना कर यह सुनिश्चित करना कि, सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

4. सभी को पानी उबालकर पीने की सलाह देना।

5. बाढ की स्थिति समाप्त होने पर निम्न कार्य आवश्यक होंगेः–

1– मैदानी अधिकारियों द्वारा दूषित पेयजल स्त्रोतों का सर्वेक्षण कर शुद्धिकरण किया जाना तथा लगातार मॉनिटरिंग एवं सघन निगरानी करना।

2– प्रभावित जिलों के लिये दलों का गठन किया जाना। दल का नेतृत्व उपयंत्री को सौंपकर पर्यवेक्षण सहायक यंत्री को सौंपना।

3– प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ग्रामों/पेयजल स्त्रोतों को चिन्हित कर उनका शुद्धिकरण करना।

4– बाढ़ से पट गए नलकूपों की सफाई एवं पेयजल शुद्धिकरण कर चालू किया जाना।

5– क्षतिग्रस्त हैण्डपंपों का सुधार कर कार्यरत करना।

6– हैंण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों को सुधारना अथवा बनाना।

7– आवश्यक सामग्री जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पावडर, क्लोरीन टेबलेट का भण्डार रखना।

8– खराब मोटर पम्पों की तुरन्त दुरुस्ती कराकर पेयजल व्यवस्था पुनःस्थापित करना।

9– सभी ग्रामवासियों को हिदायत देना कि वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित एवं शुद्ध किये स्त्रोत का ही पानी पीयें।

10– पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु चलित प्रयोगशाला को उपलब्ध कराना।

1.7.4.2 यह सभी कार्य विभाग के कार्य क्षेत्र के होने से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सम्पन्न किये जावेंगे। विभागीय अधिकारी कार्य सम्पन्न करते समय बाढ़ समिति एवं स्वास्थ्य समिति से समन्वयन करेंगे एवं की गई कार्यवाही से सूचित करेंगे।

1.7.4.3 विभाग स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों के प्रभारी मुख्य अभियंता एवं संबंधित मंडल के प्रभारी अधीक्षण यंत्री पूरी आवश्यक कार्यवाही के अनुश्रवण एवं संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे । अधिकृत अधीक्षण यंत्री प्रभावित जिले/क्षेत्र में भ्रमण कर पेयजल व्यवस्था के सुचारु प्रबंधन हेतु पहल कर कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करेंगे। वे विभागीय कन्ट्रोल रुम भी स्थापित करेंगे तथा उसका संचालन करेंगे जो कि जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष को कार्यवाहियों की सूचना देगा/प्राप्त करेगा।

1.7.4.4 कार्यपालन यंत्री प्रभावित क्षेत्रों में स्त्रोतो के शुद्धिकरण,गुणवत्ता परीक्षण, भंडार में आवश्यक कैमिकल्स की उपलब्धता एवं कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे। वे

क्षेत्रवार कार्य दल बनाकर उसका संचालन करेंगे । कार्यपालन यंत्री स्थानीय निकायों के अधिकारियों से भी समन्वय करेंगे। कार्यदल के प्रभारी सहायक यंत्री रहेंगे तथा उपयंत्री के साथ सभी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करेंगे।

1.7.4.5 पशु पालन विभाग

राज्य स्तर पर पशु पालन संचालनालय में बाढ़ प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। यह प्रकोष्ठ शासन स्तर एवं जिला स्तर से प्राप्त होने वाले विभिन्न मुद्दो का निराकरण करेगा। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य स्तर से त्वरित कार्यवाही अपेक्षित होगी। यदि किसी जिलें में बाढ़ का आकार ज्यादा हो, तो अन्य अप्रभावित जिलों से चिकित्सा दलों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की त्वरित कार्यवाही की जाएगी। संचालनालय स्तर के बाढ़ प्रकोष्ठ को कार्यवाहियों की सूचना तत्काल रुप से राजस्व विभाग के बाढ़ नियंत्रण एवं मानीटरिंग कक्ष को उपलब्ध कराना होगी। पशु धन हानि को सीमित करने के लिये पशु पालन विभाग द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व जिला स्तरीय कार्यालयों को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जायेंगे :–

1.7.5.1 जिले में बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्र एवं उनके ग्रामों की पशु संख्या की पूर्ण जानकारी जिला कार्यालय में पृथक सेल बनाकर रखी जाए। उनके भौगोलिक स्थिति की पूर्णरुपेण जानकारी होनी चाहिये,ताकि बाढ़ के समय ग्रामों में पहुंच आसान हो सके।

1.7.5.2 संभावित क्षेत्रों के ग्रामों के पशुओं में भूजन्य रोग एच.एस., बी.क्यू., रोगों के प्रतिबंधात्मक टीके वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व लगाए जाने चाहिये,ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर पशु इन रोगों से ग्रसित न हो सके। यह इसलिये भी आवश्यक है कि बाढ़ के समय पानी के माध्यम से इन्फेक्शन पहुच सकता है। टीका द्रव्य का पर्याप्त भंडारण करना आवश्यक है।

1.7.5.3. बाढ़ के समय पशु पानी बरसने वाले दिनों में चरने नहीं जा पाते हैं तथा बाढ़ आ जाने पर दूषित जल पीते हैं। इस प्रकार उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का हास हो जाता है,जिससे विभिन्न प्रकार के रोग होना संभावित है। बाढ़ के समय सामान्यतः निमोनिया,डायरिया,खॉसी,सर्दी तथा घाव की बीमारी होती है अतः भूजन्य रोगों एवं सामान्य रोगों के उपचार हेतु पर्याप्त औषधियों का भंडारण होना आवश्यक है।

1.7.5.4. निमोनिया, डायरिया, खॉसी एवं सर्दी आदि की औषधियां जो सामान्यतः पाउडर फार्म होती है,उन्हें पशु पालकों को पशु उपचार में देने हेतु छोटी पालिथीन थैलियों की व्यवस्था करना उचित होगा।

1.7.5.5. चारे व घास की आवश्यकता का आंकलन करते हुए निर्धारित मात्रा की भंडारण व्यवस्था के लिए जिलाध्यक्ष को सूचना दी जानी चाहिये।

1.7.6 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

1.7.6.1 खाद्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व माह मई–जून में यह समीक्षा कर ली जानी चाहिये कि जिलों के उचित मूल्य की दूकानों में निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण उपलब्ध हो।

1.7.6.2 समस्त जिलों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व पहुंच विहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न आदि के भंडारण के लिये राशि एवं खाद्यान्न का आवंटन दिया जाना चाहिए।

1.7.6.3 समस्त जिलों के पहुंच विहीन क्षेत्रों में वर्षा पूर्व भंडारण की कार्यवाही पन्द्रह जून तक आवश्यक रुप से करने तथा दिनांक 30 जून तक भंडारण मात्रा की जानकारी खाद्य विभाग को भेजनी चाहिये।

1.7.6.4 समस्त जिलों से पहुंच विहीन क्षेत्रों में वर्षा पूर्व भंडारण की जानकारी संकलित की जाकर उसकी संचालनालय एवं शासन स्तर पर साप्ताहिक रुप से समीक्षा की जाएगी।

1.7.7. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समस्त निगमों एवं नगर पालिकाओं को वर्षा ऋतु के पूर्व के निर्देश जारी करना चाहिए कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नालों तथा नालियों की सफाई एवं मलवा निकालने का कार्य कर लिया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि पानी की निकासी व्यवस्थित हो एवं पानी जमा न हो।

1.7.7.2 निर्देश जारी करने के पश्चात समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं से निर्देशों के पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

1.7.7.3 विभाग यह सुनिश्चित करने की कार्यवाही करेगा कि नगरीय क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां जो नदी के किनारे तथा निचले क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से बसी हुई है तथा जिनमें थोड़ा सा जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ आने की संभावना हों ऐसी बस्तियां को जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल खाली करवाने की कार्यवाही करना चाहिए।

1.7.8. जल संसाधन विभाग

1.7.8.1 विभाग की विभिन्न योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण योजना भी एक है। विभाग की इन योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् समीक्षा करना चाहिए वस्तुतः बाढ़ उन्मुख जिलों में बाढ़ नियंत्रण योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1.7.8.2 विभाग को प्रमुख नदियों व प्रमुख नालों के जल स्तर पर लगातार नजर रखने तथा इसकी सूचना संबंधित जिलाध्यक्षों एवं विभागों को निरन्तर देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्षा ऋतु के समय विभाग को विभाग के अंतर्गत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए जो बांधों से पानी के जल प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करें तथा किस–किस बांध से कितना जल छोड़ा गया है, बांधों का जल स्तर क्या है आदि की जानकारी राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेगा।

1.7.8.3 विभाग द्वारा समीपवर्ती राज्यों के ऐसे बांधों, जिनसे पानी छोड़ने पर मध्यप्रदेश के किसी भाग में बाढ़ की संभावना बनती है, की निगरानी एवं नियंत्रण के उपाय किये जायें । वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जलाशयों से पानी छोड़ने में समन्वय रखने हेतु कमिश्नर रीवा की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, विभाग इस समिति की निरन्तर बैठक आयोजित कराते हुए इसके निर्णयों एवं कार्यवाही से राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को अवगत करायेगा।

1.7.8.4 विभाग की जिला स्तरीय इकाई केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उनके पूर्वानुमानों की जानकारी जिलाध्यक्ष एवं आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगी।

1.7.9. नर्मदा घाटी विकास विभाग

1.7.9.1 नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्राधिकरण के पास पर्याप्त नावें तथा अन्य बाढ़ बचाव सामग्री उपलब्ध है। विभाग को वर्षा ऋतु के समय ये सभी नावें तैयार रखना चाहिए ताकि बाढ़ बचाव हेतु इन्हे आवश्यकतानुसार प्रभावित स्थानों पर भेजा जा सके। इन समस्त बाढ़ बचाव सामग्री की सूचना विभाग को प्रत्येक वर्ष राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि रिसोर्स इनवेन्ट्री में इस सामग्री को सम्मिलित किया जा सके।

1.7.9.2 विभाग के अधीन जिन बड़े बांधों का नियंत्रण है जैसे बरगी बांध, तवा बांध आदि, से पानी छोड़ने के संबंध में आपसी समन्वय होना आवश्यक है। नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग एवं उर्जा विभाग को आपसी समन्वय के आधार पर बांधों से पानी छोड़ने के प्रबंधन की नीति निर्धारण करनी चाहिए।

1.7.10 गृह विभाग

1.7.10.1 गृह विभाग द्वारा पुलिस एवं होमगार्ड के पास उपलब्ध मोटरबोट, बोट्स तथा अन्य बाढ़ बचाव सामग्री एवं तैराकों की सूची राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

1.7.10.2 विभाग प्रत्येक वर्ष दिनांक 12 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु पुलिस मुख्यालय से 2 डाक राइडर की सेवाएं राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

1.7.10.3 विभाग द्वारा सेना के सहयोग से पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों को बाढ़ बचाव के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही सेना के सहयोग के अतिरिक्त विभाग द्वारा अपने संसाधनों से भी करानी चाहिए।

1.7.11 मछली पालन विभाग़

1.7.11.1 मछली पालन विभाग एवं मत्स्य महासंघ की जिला इकाईयों के पास जलाशयों में मछली पालन कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में नावें उपलब्ध है। जिलास्तर की बाढ़ समिति में सहायक संचालक मत्स्योद्योग एवं प्रत्येक मत्स्य महासंघ सदस्य हैं। विभाग को जिलास्तरीय अधिकारियों को वर्षा के समय अपनी नावें तैयार करने के निर्देश जारी करने चाहिए। विभागीय जलाशयों एवं मत्स्य महासंघ की नावों की जानकारी प्रतिवर्ष राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करनी चाहिए ताकि रिसोर्स इन्वेन्ट्री में इसे सम्मिलित किया जा सके।

1.7.12 कृषि विभाग़

1.7.12.1 विभाग अंतर्गत लघुत्तम सिंचाई योजना ,भूजल संवर्धन योजना एवं भूमि संरक्षण कार्यों की योजना में 40 हेक्टर सिंचाई क्षमता के तालाब, परकोलेशन टैंक ,स्टाप डैम एवं जल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। बाढ नियंत्रण की दृष्टि से निम्न निर्देश दिये गये हैं।

– निर्मित एवं निर्माणाधीन संरचनाओं पर सतत निगरानी रखी जावे तथा बाढ की स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं जिला में बाढ नियंत्रण केन्द्र को तत्काल अवगत कराया जावे।

– संरचनाओं की टूटफूट न हो इसके लिये पूर्ण साबधानी बरतें, जल निकास द्वार ,वेस्ट बीयर आदि की सफाई एवं रख रखाब उपयोगकर्ता दल से कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्मित तालाबों की सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उसके अधीन समिति बनाई जावे एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से संरचनाओं की पूर्ण सुरक्षा कराई जावे। इसके लिये पूर्व से ही समिति को उत्तरदायित्व सौंपा जावे।

– संभावित बाढ क्षेत्र की जानकारी रखी जावे तथा सावधानियों के संबंध में संभावित प्रभाव क्षेत्र के ग्रामवासियों ,कृषकों को बाढ से संरचनाओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक समझाईस दी जावे।

– बाढ की स्थिति में बेक वाटर से बचाव के लिये भी सावधानियां बरती जावे।

– बाढ की स्थिति में प्रशासन के निर्देश में अपने कार्य एवं दायित्व का पूर्ण निवर्हन करें।

अध्याय–2

बाढ़ से सुरक्षा की पूर्व तैयारियॉ

2.1 रिसोर्स इन्वेंट्री तैयार करना

बाढ़ की सुरक्षात्मक उपायों की पूर्व तैयारियों में रिसोर्स इन्वेन्ट्री को तैयार करना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। जिला स्तर की बाढ़ आपदा प्रबंधन योजना में रिसोर्स इन्वेन्ट्री को दर्शाया जाना चाहिये । रिसोर्स इन्वेन्ट्री में मुख्यतः दो जानकारियों को समावेश होगा :–

2.1.1. संबंधित व्यक्तियों के पते/दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक आदि की जानकारी–

राज्यस्तर पर – निम्नानुसार के नाम/पते/दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक की जानकारी संकलित की जाना चाहिये।

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त संभागायुक्त,
3. राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष,
4. अन्य विभागों के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष,
5. केन्द्रीय राहत आयुक्त एवं कृषि मंत्रालय, भारत शासन,
6. गृह मंत्रालय भारत सरकार
7. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
8. केन्द्रीय जल आयोग,
9. रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली एवं आर्मी हेड क्वाटर, भोपाल,
10. सेना द्वारा सहायता प्रदान करने का जिलेवार विभाजन
11. मौसम विभाग दिल्ली, भोपाल एवं नागपुर,
12. अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठन,
13. प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों की सूची,

जिलास्तर पर – उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार व्यक्तियों/विभागों/संस्थाओं के नाम/पते/दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक आदि भी होने चाहियेः–

1. राहत /पुनर्वास के कार्यो से संबंधित विभागों के,
2. जिलास्तरीय कंट्रोल रुम के,
3. अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के,
4. राज्य शासन के विभागों के ।

2.1.2 सामग्री की सूचीः–

राज्य स्तर पर

जिलों में उपलब्ध बाढ़ बचाव सामग्री को सूचीबद्ध किया जायेगा।

जिलास्तर पर

प्रत्येक जिलास्तर पर तैयार की जाने वाली बाढ़ आपदा प्रबंधन योजना में जिलों में शासकीय विभागों एवं अशासकीय विभागों संस्थाओं के पास उपलब्ध नावें,मोटर बोट,लाइफ जैकेट एवं अन्य बाढ़बचाव सामग्री की सूची का समावेश होगा। सामग्री जिसके आधिपत्य में है, उससे सम्पर्क हेतु नाम,पते,दूरभाष क्रमांक,फेक्स क्रमांक आदि की जानकारी सम्मिलित होना चाहिये । भारत सरकार गृह विभाग की वेबसाईट www.idrn.gov.in में शासकीय विभागों एवं अशासकीय विभागों संस्थाओं के पास उपलब्ध नावें,मोटर बोट,लाइफ जैकेट एवं अन्य बाढ़बचाव सामग्री की सूची का समावेश किया जावे।

2.2 चेतावनी पद्धति

बाढ़ की आपदा के लिये चेतावनी पद्धति को विकसित करना आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है । चेतावनी पद्धति के माध्यम से जन साधारण को समय पर ही बाढ़ के खतरे से संभलने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही बाढ़ की आपदा से निपटने से संबंधित समस्त एजेन्सियों को भी प्रबंधन योजना के अनुसार स्थिति से निपटने का मौका मिलेगा। चेतावनी पद्धति में निम्नानुसार व्यवस्था की जानी चाहिये :–

1. मौसम विभाग एवं केन्दीय जल आयोग द्वारा क्रमशः वर्षा एवं मुख्य नदियों के जलस्तर के दिये जाने वाले पूर्वानुमान की सूचना को सरल भाषा में अनुवादित करते हुए जन सामान्य तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

2. वार्निंग सिस्टम इस तरह तैयार होना चाहिये कि क्रियान्वयन से संबंधित समस्त इकाईयां जिन्हें बचाव आदि का कार्य करना है तथा प्रभावित होने वाले जन साधारण तक आपदा की यथा समय पूर्व सूचना पहुंच सके।

3. चेतावनी की सूचना संचार के विकसित माध्यम जैसे–दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिटी केबल तथा दूरभाष के रिकार्डेड संदेश के रुप में दी जानी चाहिये।

4. बाढ़ सूचना निर्देशिका के अनुसार जल स्तर के खतरे के निशान तक पहुंचने के पूर्व ही चेतावनी देने की कार्यवाही शुरु कर बाढ़ उतरने तक पानी की स्थिति की जानकारी देते रहना चाहिए।

5. जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर लाउडस्पीकर एवं अन्य माध्यम जैसे डोंडी पीटकर जन सामान्य को संभावित आपदा की चेतावनी दी जानी चाहिये।

6. जल संसाधन विभाग,नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं उर्जा विभाग जिनके अधीनस्थ बांधों का नियंत्रण है, वे मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग के पूर्वानुमानों के आधार पर बांधों से जल छोड़ने की समन्वित नीति के तहत चेतावनी की जानकारी देने की कार्यवाही करेंगे।

7. दी जाने वाली चेतावनी में प्रभावितों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त समावेश भी होना चाहिये। उदाहरणार्थ जब जलस्तर खतरे के निशान से 4–5 फुट नीचे हो,तो तत्काल सतर्क कर दिया जाना चाहिये। जब जलस्तर खतरे के निशान से दो या ढाई फुट ;पानी के चढ़ने की तेजी के आधार पर आ जाय, तो लोगों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जानी चाहिये। जब जलस्तर एक फुट नीचे हो, तो प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह खाली करने की कार्यवाही होनी चाहिये। यहां पर जलस्तर की जो सीमा निर्धारित की गई है ,उसे नदी/नाले के फैलाव, गहराई आदि को दृष्टिगत् रखते हुए तथा जिले की आपदा प्रबंधन योजना में सम्मिलित बाढ़ सूचना निर्देशिका के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। उद्देश्य यह है कि आपदा घटित होने के समय पूर्व ही चेतावनी देने की कार्यवाही होना चाहिये, ताकि आपदा के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

8. चेतावनी पद्धति में स्थानीय संस्थाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये। प्रत्येक पंचायत एवं जिला पंचायत को यह ज्ञात होना चाहिये कि उनके क्षेत्र में किस–किस नदी अथवा नाले का खतरे का निशान किस जलस्तर पर है, तथा खतरे के निशान से कितना फुट पानी नीचे रहने की स्थिति में जन सामान्य को सतर्क किया जाना चाहिये, एवं किस जलस्तर पर मनुष्यों तथा पशुओं को उस स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिये। ग्राम सेवक/पटवारियों को चेतावनी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये। स्थानीय पंचायतों को सुरक्षित स्थानों का पूर्व से चयन कर लेना चाहिये, जहां हटाये गये व्यक्तियों/पशुओं को रखा जाना है।

2.2.1 एक प्रभावी चेतावनी पद्धति में 6 मुख्य तत्व सम्मिलित होना चाहिये :–

1. पूर्वानुमान (Predicton)

मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग आदि के पूर्वानुमान के आधार पर नदी नालों के स्तर का अनुमान लगाया जाना चाहिये।

2. पूर्वानुमानों की व्याख्या (Interpretation)

मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किये जाने वाले पूर्वानुमान सामान्यतः तकनीकी भाषा से युक्त होते हैं। उनके पूर्वानुमानों के आधार पर सरल भाषा में यह व्याख्या होनी चाहिये कि किस–किस क्षेत्र में आगामी 12 घंटे, 24 घंटे एवं 7 दिन या उससे अधिक, में मौसम एवं वर्षा की स्थिति क्या होगी। यदि वर्षा का पूर्वानुमान है,तो इसकी अनुमानित मात्रा

क्या होगी एवं उसका प्रभाव संबंधित क्षेत्र के नदी नालों पर क्या होगा। पूर्वानुमानों की स्पष्ट व्याख्या के पश्चात जिला स्तर पर चेतावनी के संप्रेषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

3. संदेशों को तैयार करना (Message construction)

बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों के लिये दिये जाने वाले सूचना संदेशों को सरल भाषा में तैयार होना चाहिये। चेतावनी अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिये।

4. संसूचना (Communication)

बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में चेतावनी की जानकारी को प्रसारित करने की समुचित व्यवस्था होना चाहिये। जिला आपदा प्रबंधन योजना में यह स्पष्ट अंकित होना चाहिये कि किस माध्यम से जन साधारण को जानकारी संसूचित की जाएगी।

5. प्रतिक्रिया (Response)

इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रभावित क्षेत्रों के जन साधारण एवं संबद्ध संस्था द्वारा सुरक्षात्मक तथ्यों संबंधी जानकारी प्रत्युतर के रुप में आपदा प्रबंधन के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों/विभागों तक पहुंच सके।

6. समीक्षा (Review)

चेतावनी पद्धति के विभिन्न पहलुओं की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिये यह समीक्षा चेतावनी पद्धति को और विकसित करने एवं कमियों में सुधार के लिये की जानी चाहिये।

2.2.2 चेतावनी पद्धति को विकसित करने के लिये अत्यावश्यक विषय

1. चेतावनी के संदेश बाढ़ उन्मुख जन समुदाय को आसानी से समझ में आने वाले होना चाहिये।

2. चेतावनी पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिये कि यह सामान्य बाढ़ की स्थिति में तथा गंभीरतम बाढ़ की स्थिति में, दोनो ही परिस्थितियों में कार्यरत होने योग्य हो।

3. चेतावनी पद्धति का रूप इस तरह का हो कि इस पर कार्य करने वालों को तथा जन समुदाय को इससे पूर्णरूपेण भिज्ञ होना चाहिये या दूसरे शब्दों में बाढ़ संबंधी जानकारियों तथा चेतावनियों से अवगत होना चाहिये।

4. प्रत्येक संबंधित संस्था को चेतावनी पद्धति को पूर्णरूपेण स्वीकार करना चाहिये तथा इस व्यवस्था को विकसित करते हुये अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिये।

2.3 आपदा के संबंध में जन जागरुकता एवं लोक शिक्षण

बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने की आपदा के पूर्व तैयारियां तथा बाढ़ आने की स्थिति में बचाव के संबंध में लोगों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिये। जन जागरुकता एवं लोक शिक्षण संबंधी मुख्य विषय निम्नानुसार है :–

1. जन साधारण को बाढ़ के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक किया जाना चाहिये।

2. उस स्थानीय क्षेत्र में विगत वर्षों में बाढ़ आने की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

3. बाढ़ आने की स्थिति में क्षेत्र को खाली करने की व्यवस्था की जानकारी भी दी जानी चाहिये।

4. यह भी समझाया जाना चाहिये कि अचानक कोई परिस्थिति निर्मित होने की स्थिति में उन्हें स्थानीय शासकीय/अशासकीय संस्था को उस स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिये। कलेक्टर को हर हालत में अवगत कराना चाहिये।

5. स्थानीय क्षेत्र में बड़ी नदी या नाला होने की स्थिति में उसके खतरे के निशान आदि की जानकारी भी दी जानी चाहिये।

6. पूर्व अनुमानों के आधार पर राज्यस्तर/जिलास्तर/स्थानीय निकायों के माध्यम से प्राप्त होने वाली चेतावनी की व्याख्या स्पष्ट की जाना चाहिये।

7. चेतावनी प्राप्त होने पर विभिन्न सम्पत्तियों एवं व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जानकारी दी जाना चाहिये।

8. स्थानीय भौगोलिक जानकारी से जन साधारण को अवगत कराना चाहिये । जैसे, क्षेत्र में कौन सा स्थान पर उॅचाई पर है, जहां पर पानी से सुरक्षित रखा जा सकता है।

9. कुछ घरेलू सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी भी दी जानी चाहिये। जैसे–पशुओं, सम्पत्तियों एवं मनुष्यों को सुरक्षित स्थान से हटाने के साथ ही मकान में बिजली आदि के स्विच को बन्द करना, कुछ ऐसी सामग्री जो कि एयर टाइट अर्थात् जिसमें हवा भरती हो उदाहरण के लिये फ्रीज आदि के दरवाजे को खोल दिया जाना चाहिये। बहने योग्य छोटी सामग्री को एक ही स्थान में एकत्रित कर किसी ठोस वस्तु से बांधकर रखना आदि।

2.3.1 ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हुए उनके माध्यम से बच्चों में जानकारी दी जानी चाहिये। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष माह जून में समस्त शिक्षण संस्थाओं को बाढ़ की आपदा के सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी से परिपत्र प्रसारित करें।

2.3.2 स्थानीय चलचित्र गृहों, मेले में निर्मित अस्थाई चलचित्रों, सिटी केबल आदि द्वारा जन जागरुकता की कार्यवाही की जानी चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, पटवारी, कोतवाल आदि द्वारा भी लोक शिक्षण की कार्यवाही की जानी चाहिये।

2.4 प्रशिक्षण–

2.4.1 प्रबंधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि क्रियान्वयन के समस्त पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके कार्यों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण की कार्यवाही निम्नानुसार होगी :–

1. राज्य स्तर पर–

राज्य स्तर पर गृह ;पुलिसद्ध विभाग, द्वारा सेना की स्थानीय इकाई के सहयोग से एक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में होमगार्ड/पुलिस के अधिकारियों को प्रतिवर्ष माह मई में बाढ़ बचाव कार्यों में पुलिस/होमगार्ड/सेना की भूमिका एवं उनके कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. जिला स्तर पर–

जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष द्वारा जिला स्तरीय बाढ़ समिति की बैठक माह जून के प्रथम सप्ताह में ली जाएगी। इस बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार कार्यों के संबंध में पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न स्तरों पर बाढ़ की पूर्व तैयारियों तथा बाढ़ की स्थिति में बचाव कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण देने की कार्यवाही नियमित की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

.....

अध्याय–3

आपदा से निपटने के उपाय

बाढ़ की आपदा की संभावना मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय से प्राप्त पूर्व अनुमानों के आधार पर आंकलित की जाएगी। चूंकि आपदा से निपटने का मुख्य दायित्व जिला प्रशासन का होगा अतः इस अध्याय में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आपदा से निपटने के मुख्य उपाय निम्नानुसार है –

3.1 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

राज्य स्तर परः– राजस्व विभाग के अधीनस्थ बाढ़ नियंत्रण एवं मानिटरिंग कक्ष स्थापित किया जावेगा। यह नियंत्रण कक्ष संसूचनाओं के समस्त आधुनिक यंत्रों से युक्त होगा, जिसमें मुख्यतः 2 टेलीफोन एस.टी.डी. सुविधा सहित,फैक्स मशीन,आधुनिक टेक्निक का कम्प्यूटर, जिसमें मोडेम के माध्यम से फेक्स सुविधा हो, फोटोकॉपी मशीन आदि उपलब्ध होगी । इस नियंत्रण कक्ष का मुख्य उद्देश्य आपदा के समस्त जानकारियों की संसूचना तत्काल रुप से प्राप्त करने, जिला स्तर पर कार्यों के संबंध में निर्देश पहुॅचाने तथा अन्य इकाईयों जैसे संबंधित विभाग,संस्थाओं,राज्य के बाहर के केन्द्रीय विभाग एवं सेना आदि से सम्पर्क करने के समन्वय के कार्य को सुनिश्चित करने का है।

जिला स्तर पर :– जिलाध्यक्ष के अधीनस्थ स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष को निम्नानुसार कार्यवाहियां सम्पादित करनी होंगी। :–

1. जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष आपदा के समय 24 घंटे कार्यशील रहेगा।

2. इस नियंत्रण कक्ष में संचार के समस्त आधुनिक यंत्र जैसे दूरभाष एस.टी.डी. सुविधायुक्त,फैक्स मशीन,फोटो कॉपीयर एवं कम्प्यूटर उपलब्ध। होना चाहिये।

3. आपदा प्रबंधन की समस्त कार्यवाहियों को मानीटर,समन्वय एवं क्रियान्वित करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि चेतावनी,संसूचना के समस्त साधन क्रियाशील अवस्था में हों।

5. जिले के सभी विभागों के कार्यालयों से आपदा संबंधी की जाने वाली कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। विभागीय कार्यालयों से आपदा से निपटने की तैयारियों का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। इस प्रतिवेदन में उनके पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी होनी चाहिये।

6. नियंत्रण केन्द्र में एक पूंछताछ केन्द्र स्थापित किया जावे तथा मुख्य स्थान पर सूचना पटल लगायें जिसमें प्रतिदिन की प्रमुख जानकारियों प्रदर्शित हों।

7. समस्त संसाधनों की रिसोर्स इन्वेन्ट्री तैयार की जाएगी।

8. राहत आयुक्त कार्यालय को समस्त जानकारी प्रेषित की जाएगी।

9. जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा जिला स्तर के अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

10. नियंत्रण कक्ष द्वारा आपदा की तैयारियों एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की भी मानीटरिंग की जाएगी।

11. नियंत्रण कक्ष द्वारा संचार के माध्यमों से प्रभावित क्षेत्रों में आपदा संबंधी जानकारी नियमित रुप से प्रदान की जाएगी।

12. संचार मीडिया को आपदा की स्थिति एवं कार्यवाहियों की जानकारी संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।

13. आपदा की स्थिति में प्रतिदिन की कार्यवाहियों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जाएगी।

14. नियंत्रण कक्ष का प्रभार किसी वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में होगा। यह अधिकारी आपदाओं से निपटने संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिये

15. नियंत्रण कक्ष में लगाई जाने वाली ड्यूटी के लिये कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट तैयार किया जाना चाहिये । इस ड्यूटी चार्ट की सूचना राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को भी भेजी जाएगी।

16. नियंत्रण कक्ष में विभिन्न सेवाओं के संबंध में कार्य विभाजित किया जाना चाहिये । जैसे–बाढ़ की स्थिति, में स्वास्थ्य / पेयजल / कृषि संचार साधनों की सेवाओं का कार्य। इस कार्य के विभाजन के आधार पर संबंधित व्यक्ति इन विभागों के द्वारा स्थापित उनके विभागीय कार्यालयों के नियंत्रण कक्ष से सीधे सम्पर्क रखेंगे एवं अद्यतन जानकारी प्राप्त करेंगे। नियंत्रण कक्ष के पास उपलब्ध रिसोर्स इन्वेन्ट्री में समस्त साधन, नाम, पते, दूरभाष क्रमांक बचाव दल, उपलब्ध सामग्रियों की विभागवार एवं व्यक्तिवार जानकारी आदि दर्शाई जायेगी।

17. आपदा के पश्चात् की कार्यवाहियों के संचालन, सामग्री की पूर्ति की मानीटरिंग एवं समन्वय का कार्य भी नियंत्रण कक्ष द्वारा संचालित होगा।

18. आपदा के समय विभिन्न संचालन केन्द्र की गतिविधियों की जानकारी नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होगी।

19. जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक वर्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने की कार्यवाही करेगा।

3.2 बाढ़ नियंत्रण समिति का गठन

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राहत पहुॅचाने तथा बचाव कार्य के लिये विभिन्न स्तरों पर समितियॉ कार्य करेंगी। यह समितियॉ सामान्य स्थिति में प्रतिमाह तथा आपदा के समय आवश्यकतानुसार जल्दी–जल्दी बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही भी करेंगी। समिति के सदस्य आपस में सम्पर्क बनाये रखेंगे, ताकि विपत्ति के समय बचाव कार्य किये जाकर विपरीत स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

3.2.1 जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति

जिला स्तरीय समिति में सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	कार्यपालन यंत्री,लो.नि.विभाग,	सदस्य
4	कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन	सदस्य
5	उप संचालक,पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य
6	उपसंचालक,पशु चिकित्सा सेवा	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी	सदस्य
8	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदाधिकारी	सदस्य
9	सहायक संचालक,सूचना तथा प्रकाशन	सदस्य
10	खाद्य अधिकारी	सदस्य
11	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका परिषद	सदस्य
12	नगर निगम आयुक्त	सदस्य
13	परियोजना अधिकारी	सदस्य
14	जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
15	रोटरी क्लब के प्रतिनिधि	सदस्य
16	रेडक्रास के प्रतिनिधि	सदस्य
17	प्रभारी अधिकारी राहत शाखा	सदस्य सचिव
18	लायंस क्लब के प्रतिनिधि	सदस्य
19	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	सदस्य
20	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सदस्य
21	सहायक संचालक मत्स्योद्योग/ प्रबंधक मत्स्य महासंघ	सदस्य
22	उप संचालक, शिक्षा	सदस्य
23	मौसम एवं केन्द्रीय जल आयोग के स्थानीय कार्यालय के अधिकारी	सदस्य

तहसील स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति

तहसील स्तरीय समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे

1	डपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सदस्य
3	संबंधित थाना प्रभारी	सदस्य
4	स्थानीय शासकीय चिकित्सक	सदस्य
5	प्रतिनिधि समाज सेवा संस्थाऐं	सदस्य
6	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
7	स्थानीय चिकित्सक	सदस्य

ग्राम स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति

ग्राम स्तरीय समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे

1	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	पटवारी	सदस्य
3	ग्राम सेवक	सदस्य
4	ग्राम पटेल	सदस्य
5	कोटवार	सदस्य
6	शिक्षक	सदस्य
7	पंचायत सचिव	सदस्य
8	प्रतिनिधि,समाज सेवा संस्था	सदस्य
9	स्थानीय चिकित्सक	सदस्य

कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपखंड, तहसील एवं ग्राम स्तरीय बाढ़ समिति के अध्यक्षों के साथ बैठकर स्थिति की जानकारी, विशेषकर आपदा के संभावित होने पर / होने के समय, प्राप्त की जायेगी तथा की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित की जायेगी।

3.3 आपदा से निपटने के लिये संचालन केन्द्र

3.3.1 बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य स्थानों पर संचालन केन्द्र स्थापित होना चाहिये।

3.3.2 यह संचालन केन्द्र सुरक्षित एवं उंचे स्थान पर होना चाहिये, जहां पर आवागमन तथा संचार की समुचित सुविधा उपलब्ध हो।

3.3.3 राहत संचालन केन्द्रों की स्थापना का निर्धारण कलेक्टर द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा। उदाहरण के लिये यदि बाढ़ का प्रभाव नगरीय क्षेत्र में है, तो संचालन केन्द्र की व्यवस्था नगर निगम/नगर पालिका के प्रशासक के माध्यम से होनी चाहिये तथा यदि प्रभावित क्षेत्र ग्रामीण है तो संचालन केन्द्रों का निर्धारण क्षेत्र अनुसार सरपंच/जनपद

पंचायत/जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना में ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों की भूमिका में उनके कार्य एवं दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य योजना में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि अन्य प्रशासकीय अमला जैसे–तहसीलदार,विकास खण्ड अधिकारी,पटवारी आदि की क्या भूमिका होगी।

3.3.4 संचालन केन्द्रों के माध्यम से बचाव कार्यों, खाद्यान्न व्यवस्था,लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटाना एवं पंजीयन आदि की कार्यवाहियां संचालित होंगी।

3.3.5 संचालन केन्द्र अपने कार्यों की नियमित जानकारी, जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे, जो कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को एकीकृत जानकारी प्रेषित करेंगे।

3.4 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटाने की प्रक्रिया–सेना की मदद एवं हैलिकाप्टर की आवश्यकता

3.4.1 जिला स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन योजना में प्रभावित क्षेत्रों से व्यक्तियों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाने की व्यवस्था, सुरक्षित स्थान का चयन, सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाली एजेन्सी, यातायात व्यवस्था तथा मार्गो के चयन का उल्लेख होना चाहिये। प्रभावित क्षेत्रों से व्यक्तियों/पशुओं को हटाने की प्रक्रिया में निम्नानुसार चरणों के तहत कार्यवाही होनी चाहिये :–

1 *हटाने का निर्णय* – बाढ़ सूचना निर्देशिका के आधार जलस्तर के खतरे की स्थिति में आने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया जाना चाहिये।

2 *सेना की मदद एवं हैलिकॉप्टर को उपलब्ध कराना* – डूब में आने वाले क्षेत्र का आंकलन करते हुए यदि सेना की मदद की आवश्यकता हो तो तत्काल राहत आयुक्त एवं राज्यस्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचना भेजनी चाहिए। भेजी जाने वाली सूचना में जिलास्तर पर उपलब्ध होमगार्ड एवं पुलिस दल की जानकारी के साथ अतिरिक्त आवश्यकता स्पष्ट करना होगी। डूब के क्षेत्र चारों ओर से जल से घिरे होने तथा आवागमन दुरुह होने की स्थिति में हेलिकॉप्टर से भोजन, दवाईयां व पेयजल आदि वितरण की आवश्यकता का आंकलन जिलास्तर पर करते हुए हैलिकॉप्टर की मांग की जाना चाहिए। राहत आयुक्त कार्यालय जिलास्तर से मांग प्राप्त होते ही सेना के लिए सब एरिया, आर्मी हेडक्वार्टर भोपाल तथा हैलीकॉप्टर की उपलब्धता के लिए एयर हैडक्वार्टर दिल्ली से सम्पर्क कर एवं आवश्यकतानुसार मांग पत्र भेजते हुए सेवायें प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा।

3 *चेतावनी संदेश* – व्यक्तियों एवं पशुओं को हटाने के पूर्व संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी संदेश पहुॅच जाना चाहिये। लोगों को भली भांति यह ज्ञात होना चाहिये कि किस स्थिति में उन्हें संपत्ति एवं पशुओं के साथ क्षेत्र पूर्णतः खाली करना होगा।

4 *प्रभावित क्षेत्रों का पूर्णतः खाली कराया जाना* – कतिपय स्थिति में यह देखा गया है कि कोई क्षेत्र विशेष जलमग्न होने की स्थिति में भी लोग मोहवश या अन्य कारणों से अपने स्थान को खाली नहीं करते हैं एवं पेड़ या छत या अन्य किसी उॅचाई वाले

क्षेत्र पर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन/स्थानीय संस्थाओं को चेतावनी संदेशों के द्वारा समझाईश देते हुए तथा बाढ़ के कतिपय परिणामों से अवगत् कराते हुए व्यक्तियों एवं पशुओं को हटाने की कार्यवाही करनी चाहिये।

5 *राहत शिविर* – व्यक्तियों और पशुओं को हटाकर ले जाने की स्थिति में पर्याप्त संख्या मे राहत शिविरों को प्रारंभ किया जाना चाहिये, जहां पर न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति उपलब्ध हो।

6 *आपदा पश्चात् राहत शिविरों से वापसी* – इसमें बाढ़ उतरने के पश्चात् लोगों और पशुओं को उनके स्थान पर भेजे जाने की कार्यवाही निर्धारित कर ली जानी चाहिये।

3.5 राहत शिविर – पंजीयन व्यवस्था

3.5.1 कण्डिका 3.3 के अनुसार संचालन केन्द्रों के माध्यम से राहत शिविरों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाना चाहिये। संचालन केन्द्र यह निर्धारित करेंगे कि प्रभावित क्षेत्रों की कितनी जनसंख्या एवं पशुओं की संख्या को हटाने का अनुमान है।

3.5.2 प्रभावित स्थानों से व्यक्तियों एवं पशुओं को हटाने की संख्या के आधार पर राहत शिविरों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इन राहत शिविरों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के पंजीयन व्यवस्था होगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, वल्दीयत, उम्र,ग्राम के नाम की प्रविष्टि होना चाहिये। इसी प्रकार पशुओं के लिये बनाए गए राहत शिविरों में पशु के मालिक का नाम, वल्दीयत एवं ग्राम के नाम का पंजीयन होना चाहिये।

3.5.3 राहत शिविरों में खाद्यान्न, जल, दवाईयां आदि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित् होनी चाहिये। इस व्यवस्था के लिये संचालन केन्द्र यह निर्धारित करेंगे कि किन–किन राहत शिविरों में संख्या के मान से कितनी सामग्री पहुॅचाई जानी है। प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ की आपदा के समय स्थानीय निवासी एवं स्वैच्छिक संगठन अपनी ओर से भोजन एवं कपड़े बहुतायत मात्रा में दान स्वरुप राहत शिविरों में पहुॅचाते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार कार्य अव्यवस्थित भी हो जाता है। जिला स्तर पर यह निर्णय कर लिया जाना चाहिये कि जो भी स्वैच्छिक संगठन आपदा की स्थिति में दान स्वरुप भोजन,कपड़ा,सामग्री,दवाई आदि देना चाहते हैं,वे संचालन केन्द्रों में दी जाने वाली सामग्री की सूची के साथ पंजीकृत कराते हुए अपनी सामग्री सौंपे। संचालन केन्द्र तत्पश्चात् पर्याप्त सामग्री को राहत शिविरों में पहुॅचाने का कार्य करेंगे। रेडक्रास, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब जैसे संगठनों की राहत शिविरों के संचालन में उनकी भूमिका निर्धारित की जानी होगी।

3.6 खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

3.6.1 बाढ़ की आपदा के समय खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को सुनिश्चित् किया जाना आवश्यक है। इस कार्यवाही में जिला स्तरीय भिन्न–भिन्न विभागों,पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना में स्पष्ट कर लिया जाना चाहिये।

3.6.2 प्रभावित क्षेत्र यदि ग्रामीण है, तो जिला पंचायत/जनपद पंचायत/पंचायत यह सुनिश्चित् करेंगे कि जिला स्तरीय विभागों से उन्हें किस तरह कितनी मात्रा में सामग्री प्राप्त करनी है। इन संस्थाओं द्वारा संचालन केन्द्रों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी तत्पश्चात् संचालन केन्द्रों से समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित विभागों से एवं आवश्यकतानुसार जिलाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करते हुए खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की कार्यवाही करनी होगी।

3.6.3 प्रभावित क्षेत्र यदि नगरीय है, तो नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम, संचालन केन्द्र/संबंधित विभागों एवं आवश्यकतानुसार जिलाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करते हुए व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित् करेंगे।

3.6.4 संचालन केन्द्रों का दायित्व होगा कि वे प्रदाय की गई समस्त सामग्री का लेखा–जोखा रखेंगे एवं इसकी पूर्ति की सूचना जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी।

3.7 जिला स्तरीय विभागों के कार्य–

बाढ़ के प्रभाव के समय जिला स्तर पर कुछ खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में कुछ विभागों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार होगी :–

3.7.1 खाद्य विभाग – खाद्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य शासन से प्रतिमाह प्राप्त होने वाली खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा जिला स्तर पर प्राप्त हो गई है । राज्यस्तर पद आपदा के स्वरुप को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होने पर इस की मांग भारत शासन को भेजने की कार्यवाही की जावेगी।

- जिला स्तरीय कार्यालय यह देखेंगे कि पहुॅच विहीन क्षेत्रों में वर्षा पूर्व भंडारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है या नहीं।
- जिला स्तरीय कार्यालय भंडारण की जानकारी साप्ताहिक रूप से राज्य शासन के खाद्य विभाग को प्रेषित करेंगे।
- यदि किसी विशेष परिस्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न देने संबंधी निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय के अनुसार राज्य शासन से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु मांग पत्र एवं राज्य शासन के खाद्य विभाग द्वारा इसकी पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

3.7.2 पशु पालन विभाग

पशु पालन विभाग द्वारा बाढ़ की आपदा के पूर्व की जाने वाली तैयारियों को अध्याय–1 की कण्डिका 1.7.5 में दर्शाया गया है। उपरोक्तानुसार तैयारियां पूर्ण कर लिये जाने पर बाढ़ की स्थिति में राहत कार्यों को प्रारंभ करने एवं संचालन में आसानी होगी।

– जिला स्तर पर राहत दलों को आवश्यक टीका–द्रव्य, औषधियां आदि अन्य आवश्यक सामान सहित प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। हर दल अपने कार्यक्षेत्र की जानकारी संचालन केन्द्रों तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देगा।

– बाढ़ आने पर कई पशु नदी/नालों में बह जाते हैं एवं मर जाते हैं, यह शव कहीं न कहीं जाकर जब पानी कम होता है, तो अटक जाते हैं या नदी में, पेड़ों, जड़ों में फंसकर रुक जाते हैं तथा इनके सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है इससे कई संक्रामक बीमारी होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में पशुओं के शवों के डिस्पोजल का अत्यन्त आवश्यक कार्य है। इस कार्य हेतु शासकीय संस्थाओं एवं जन सहयोग से पशुओं के शवों को यथा स्थान जमीन में गड्ढा खोद कर चूना/नमक डालकर गाड़ देना सर्वोत्तम व्यवस्था है। यदि जलाने की सुविधा उपलब्ध हो, तो कतिपय स्थितियों में जलाया भी जा सकता है। जिला प्रशासन इस कार्य हेतु पशुपालन विभाग के साथ–साथ राजस्व, पुलिस, स्थानीय शासन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिला स्तरीय इकाईयों की भूमिका भी निर्धारित करेगा।

3.7.3 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

बाढ़ की स्थिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख अध्याय–1 की कंडिका 1.7.4. में किया गया है इस कण्डिका में विभाग के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को स्पष्ट किया गया है।

3.7.4 लोक निर्माण विभाग

बाढ़ की स्थिति में लोक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख अध्याय–1 की कण्डिका 1.7.2. में किया गया है । इस कण्डिका में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भी स्पष्ट किया गया है।

3.7.5 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

बाढ़ आने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य विभाग का जिलास्तरीय कार्यालय निम्नानुसार कार्य करेगा :–

1. जिला मुख्यालय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिसका दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक संचालन केन्द्र जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के पास उपलब्ध होगा।

2. जिला मुख्यालय से आवश्यकतानुसार चिकित्सा पैरामेडिकल स्टॉफ की टीम प्रभावित क्षेत्र में रवाना की जाएगी।

3. दवाईयों तथा चिकित्सा सामग्री की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करके उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में पहुॅचाया जाएगा।

4. चिकित्सा तथा पैरामेडिकल स्टॉक को आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने के लिये अनिवार्य परिस्थिति में हवाई साधनों का उपयोग किया जा सकता है।

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यकता से अधिक स्टॉक केवल स्थानीय दवाईयों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में नहीं भेजा जाए।

6. पेयजल साफ करने के लिये, तथा उल्टी दस्त के प्रभाव को रोकने के लिये आवश्यक दवाओं को जरुरत पड़ने पर वायुयान द्वारा वितरित करने की व्यवस्था की जाए।

3.7.6 गृह पुलिस विभाग

बाढ़ की आपदा के समय जिला स्तरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना चाहिये । इस नियंत्रण कक्ष का सम्पर्क जिला स्तरीय संचालन केन्द्रों एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से होना चाहिये।

- पुलिस अधीक्षक जो बाढ़ समिति का सदस्य है, बैठक मे पुलिस बल की आवश्यकता निर्धारित करना, पुलिस बल एवं होमगाड्र्स को प्रभावित क्षेत्रों में भिजवाने की व्यवस्था आदि कार्यवाही करेंगे।
- यदि पुलिस बल एवं होमगार्ड के अतिरिक्त टुकड़ियों की आवश्यकता हो, तो इसकी सूचना तत्काल जिलाध्यक्ष के माध्यम से राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।

3.7.7 कृषि विभाग

खरीफ मौसम में अतिवृष्टि व बाढ से सुरक्षा हेतु कृषकों को सामयिक सलाह के अंतर्गत निम्नानुसार त्वरित कार्यवाही करें:–

– जहां फसल बुवाई की जा चुकी है एवं अतिवृष्टि से खेतों में पानी भरा है वहां तत्काल जल निकास की व्यवस्था कर फसल का बचाव करें।

– फसलों की प्रारंभिक स्थिति में जहां बोनी करना संभव न हो तो धान की नर्सरी तैयार कर रोपाई करें।

– हरी खाद की बुवाई करें।

– फसल की उत्तरोत्तर अवस्था में भी अतिवृष्टि के कारण भरे जल का निकास करें।

– 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हो गई हो तो उसे पलट कर दुबारा कम अवधि वाली खरीफ फसल हेतु खेत तैयार करें एवं समय रहने पर दुबारा बोवाई करें। यदि दुबारा खरीफ फसल की बुवाई के लिये विलम्ब हो गया है तो वहीं उसे पलट कर रबी मौसम हेतु खेत की तैयारी की जावे।

– जिले में बीज ,उर्वरक ,पौध संरक्षण औषधियों की उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करें।

–यह ध्यान रखें कि खरीफ मौसम में वर्षा के परिपेक्ष्य में सतत् निगरानी की जावे एवं कृषकों को सामयिक सलाह दी जावे।

अध्याय–4

शासन, जनसाधारण एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सहयोग

बाढ़ का पानी उतरने के पश्चात् सर्वप्रथम आवश्यकता होती है प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक, एवं सामग्री के रुप में भी, सहायता प्रदान की जाये। यह सहायता शासकीय नियमों के अंतर्गत एवं अशासकीय संस्थाओं तथा जनसाधारण द्वारा दान स्वरुप भी वितरित की जाती है। शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो की पृथक–पृथक व्याख्या की जा रही है।

4.1 शासकीय सहायता

शासकीय सहायता के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य शासन के नियमों के अंतर्गत दी जाने वाली प्रारंभिक आर्थिक सहायता के वितरण का कार्य है । यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जाना होता है । बाढ़ की प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों को आर्थिक अनुदान सहायता के लिए राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6–4 वर्तमान में लागू है। शासन की ओर से इस परिपत्र के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है, उसका उद्देश्य तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि संबंधित को हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति करना अथवा मुआवजा देना। यह परिपत्र दिनांक 25.11.2006 को पुनरीक्षित किया गया है।

देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हों या वन्य ग्रामों के निवासी हों, देय होगी। वन ग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व राजस्व अमले का होगा, जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा।

4.1.1 खाद्य विभाग

सामग्री के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण का दायित्व खाद्य विभाग का होगा। बाढ़ की प्राकृतिक आपदा के समय शासन द्वारा कई बार विशेष आदेशों के तहत प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था के निर्देश दिये जाते हैं। इस स्थिति में खाद्य विभाग को खाद्यान्न पूर्ति की समुचित व्यवस्था निर्धारित करना होगी। आपदा से निपटने के उपायों में वर्षाऋतु पूर्व निर्धारित मात्रा में भण्डारण की समुचित कार्यवाही की जाना है। बाढ़ के पश्चात् विशेष परिस्थितियों के तहत यदि अतिरिक्त खाद्यान्न प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाना है तो इस संबंध में खाद्य विभाग समुचित कार्यवाही करेगा।

4.2. स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता ।

राज्यस्तरीय अशासकीय संस्थाएं यदि बाढ़ प्रभावितों की सहायतार्थ राशि अथवा सामग्री दान स्वरूप देना चाहती है तो उन्हें निम्नानुसार कार्यवाही करनी चाहियेः–

1. राहत आयुक्त कार्यालय, मंत्रालय भोपाल में संपर्क करना।

2. यदि राशि नगद अथवा चैक के रूप में दी जाना है, तो राहत आयुक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त करते हुए या तो इसे चैक द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा विशेष आपदा में अतिरिक्त नाम से खोले खाते में जमा कराया जायेगा।

3. अशासकीय संस्थाएं सामग्री के रुप में दी जाने वाली सहायता की सूची बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगी, तथा जिलों को सामग्री भेजने के संबध में राहत आयुक्त कार्यालय से समन्वय करते हुये सामग्री जिलों को भेजेंगी।

4. राज्यस्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर उन्हें भेजी जाने वाली सामग्री का निर्धारण करेगा।

5. आपदा का आकार यदि बड़ा है तो राज्य स्तरीय अशासकीय संस्थाओं को उनके केन्द्रीय कार्यालय से संपर्क कर उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता की जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय /बाढ़ नियंत्रण कक्ष को देनी चाहिए।

7. अंतराष्ट्रीय संस्थाओं को सहायता के संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित करना चाहिए।

जिला स्तर

जिलास्तर पर कई शासकीय संस्थाएं आपदा के समय सहयोग कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इनमें रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेडक्रास, चेम्बर आफ कामर्स एवं वर्ल्ड विजन आदि संस्थाएं प्रमुख हैं। इन संस्थाओं के अधिकांश प्रभारी, जो कि जिला बाढ़ समिति के सदस्य भी हैं को, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा तैयारियों से समिति को पूर्व में अवगत कराना चाहिए। सहायता राशि के वितरण, सहायता सामग्री के भण्डार एवं वितरण के कार्य का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। नीचे जो लिखा जा रहा है, वह सब सुझाव के रुप में है:–

1. इन संस्थाओं से दी जाने वाली सहायता सीधे राहत शिविरों या पीड़ित व्यक्तियों को दिए जाने के स्थान पर, संचालन केन्द्र के माध्यम से वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2. जन साधारण एवं अशासकीय संस्थाओं दान स्वरुप दी जाने वाली राशि अथवा सामग्री को संचालन केन्द्रों में प्रथमतः पंजीकृत कराना चाहिए तथा जिलास्तरीय बाढ़ समिति/ संचालक केन्द्र के निर्णयानुसार सामग्री जमा करना चाहिए तथा वितरण का कार्य शासकीय एजेन्सियों द्वारा किया जाना चाहिए अथवा जिला बाढ़ समिति में इस संबंध में आपस में समन्वय कर तय किया जा सकता है।

3. आपदा की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए राहत सहायता वितरण करने में शासकीय संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।

4. प्रत्येक शासकीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की भूमिका को जिला स्तरीय बाढ़ प्रबंधन योजना में रेखांकित किया जाना चाहिए।

4.3 विभागीय कार्यो का निर्धारण एवं समन्वय

तात्कालिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य जीवन पुनः प्रारंभ करने के लिए आर्थिक अनुदान सहायता एवं सामग्री वितरण के पश्चात् विभागों को जनजीवन सामान्य बनाने से संबंधित अपना–अपना कार्य प्रारंभ कर दिया जाना आवश्यक है। इन विभागीय कार्यों जिनमें मुख्यतः स्वास्थ्य, सफाई, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, खाद्यान्न व्यवस्था, विद्युत एवं पुनर्बसाहट के कार्य आते हैं, के मध्य समुचित समन्वय भी आवश्यक है। जिला प्रशासन को यह देखना होगा कि जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना में वह चरणबद्ध रूप से विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को लिपिबद्ध करें, साथ ही यह ध्यान रखा जाय कि विभिन्न विभागों की योजना में अनावश्यक दोहरीकरण की स्थिति निर्मित न हो। विभागवार विवरण निम्नानुसार हैः–

4.3.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

बाढ़ की स्थिति समाप्त होने पर पेयजल स्त्रोतों का शुद्धीकरण, क्षतिग्रस्त हैंडपम्पों में सुधार, शुद्धीकरण की सामग्री जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर के भंडारण एवं वितरण, खराब मोटर पम्पों में सुधार आदि कार्यो को करने का उल्लेख अध्याय–एक की कंडिका 1.7.4 में किया गया है । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिलास्तरीय ईकाई प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासियों में यह जागरुकता लाएगी कि वे स्वच्छ किये गये जल का ही उपयोग करें।

4.3.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभाग समस्त नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगरपंचायतों को निर्देश जारी करेगा कि बाढ़ के पानी के उतरते ही समस्त रहवासी क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था का कार्य कर लिया जाये। इन कार्यो में जल निकासी को सुगम बनाना तथा स्वच्छ पेयजल के वितरण का कार्य प्रमुख है । जिलास्तर पर भी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना में स्थानीय नगरीय निकायों के कार्य निर्धारित कर लेना चाहिए। सफाई योजना के अंतर्गत आवागमन एवं जल निकासी को सुगम करने के लिए अनावश्यक मलबे को हटाया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट को चालू करने की कार्यवाही भी की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करते हुए बाढ़ का पानी जहां गड्ढों में जमा हो गया हो वहां मच्छर आदि न हो इसके लिए दवाई छिड़काव आदि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। क्षेत्र के निवासियों को मच्छर से बचाव के स्थानीय उपाय जैसे गुग्गल जलाना आदि बताया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में कुओं तथा पेयजल के अन्य स्त्रोतों को कीटनाशक रसायन के माध्यम से साफ किया जाना चाहिए। स्थानीय निवासियों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वे सड़े–गले अनाज एवं बासी खाद्य सामग्री का उपयोग न करें । मुख्य रूप से नगर निगमों, नगरपालिकाओं को नागरिकों के लिये स्वास्थ्य, सफाई एवं शुद्ध जल के वितरण की समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

–पुनर्बसाहट

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बाढ़ उन्मुख जिलों तथा बाढ़ की संभावना वाले अन्य जिलों के निचले क्षेत्रों की रहवासी बस्तियों को खाली करते हुए उंचे स्थानों पर बसाने हेतु

पुर्नवास की योजना बनाई जानी चाहिए। विभाग इस हेतु अधिनियम बनाते हुए सख्ती से लागू करने की कार्यवाही कर सकता है । बनाये जाने वाले अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों के लिए दण्डात्मक प्रावधान सम्मिलित करना चाहिए।

4.3.3 स्वास्थ्य विभाग

बाढ़ की आपदा के पश्चात् यह देखा गया कि अशुद्ध जल के कारण कई रोग फैलते हैं, इनमें उल्टी, दस्त, कालरा, मलेरिया आदि प्रमुख हैं।

1. विभागों को संभावित रोगों से निपटने के लिए दवाईयों के समुचित भण्डारण क्षेत्रीय स्तर पर वितरण की समुचित व्यवस्था करना चाहिए।

2. जहां आवश्यक हो कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यवाहियां नगर निगमों /नगरपालिकाओं /पंचायतों के माध्यम से कराई जानी हो, वहां की जाने वाली कार्यवाहियों के समुचित निर्देश स्थानीय निकायों को दिये जाने चाहिए।

3. स्वास्थ्य विभाग के जिलास्तर के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि पर प्रतिवेदन नियमित रुप से जिला स्तरीय बाढ़ समिति को सौंपेगे जिस पर समिति में विचार करने के उपरान्त आवश्यक निर्णय लेते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4.3.4 उर्जा विभाग

1. बाढ़ समाप्त होने के पश्चात् बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों तथा विद्युत लाईनों में सुधार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

2. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति नियमित रहे ताकि बचाव एवं पुनर्स्थापना संबंधी कार्यो में किसी प्रकार की रुकावट न हो।

4.3.5 लोक निर्माण विभाग

1. लोक निर्माण विभाग का दायित्व है कि आवागमन जारी रखने के लिए अवरुद्ध मार्गों को तत्काल आवागमन योग्य बनाएं।

2. इसके पश्चात् वहां की सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत का कार्य करें । बाढ़ की आपदा के पश्चात जलमग्न सड़कों में अधिक क्षति की आशंका रहती है ऐसी स्थिति में इन सड़कों में सुधार कार्य आवश्यक है। इसी प्रकार छोटी पुल–पुलियों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। उद्देश्य यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों एवं पुलियों का ठीक स्थिति में होने से आपदा पश्चात् पुर्नवास कार्य हेतु आवागमन की असुविधा न हो। बाढ़ उन्मुख जिलों को आपदा पूर्व ही चिन्हांकित किया गया है, अतः इन क्षेत्रों की सड़कों को भी चालू स्थिति में रखना आवश्यक है।

4.3.6 जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग की विभागीय योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण योजना भी एक प्रमुख घटक है । बाढ़ उन्मुख जिलों के समीपस्थ बहने वाली नदी/नालों में बाढ़ की सुरक्षा संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

4.3.7 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. जहां डूब के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ उतरने के पश्चात् यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि रहवासी क्षेत्र निचले स्तर पर हैं एवं आने वाले समय में भी डूब की संभावना है तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर लिया जाना चाहिए।

3. जिला /जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के माध्यम से निचले स्तर वाले रहवासी क्षेत्रों की बस्तियों को उंचे क्षेत्र पर स्थानांतरित कर पुनर्बसाहट की योजना बनाते हुए क्रियान्वित करना चाहिए।

.....

मध्य प्रदेश में नदियों की सूची

क्र.	जिले का नाम	नदियों के नाम
1	दतिया	पाहुज , अंगूरी , सिंध , महूहार , बेतवा
2	बेतूल	माचना , सापना , ताप्ती , कुड़मुड़ , अमोरा ,पुर्णा ,खानू , अड़नी ,अदना शिल्लोर , पातरा ,लदेथा ,माण्डू ,कुर्सी ,खंडू ,गांगुल ,माजल वामिल
3	होशंगाबाद	नर्मदा ,तवा , पलकमती ,देन्मा ,मोरन , गन्जाल ,दूधी
4	छिंदवाड़ा	कान्हा , पेंच
5	खरगोन	नर्मदा , मालन , माहेश्वरी , वेद , कोंड , चोरल , बकुड , पडाली , गोई
6	दमोह	सुनार , कोपरा , , वियारमा
7	शहडोल	सोन , जोहिला , महानदी (छोटी) , कुनुक , केवाई , ओदरी ,,बनास ,मुड़ना, चुन्दी ,सरफा, झपर ,गोरना
8	छतरपुर	केन , धसान , उरमिल , केल , काठन , बराना , श्यामरी
9	मंडला	नर्मदा , बुदनेर , बंजर , मतियारी , सरपन , हल्लों
10	सीधी	सोन , गोपद , बनास , महान , कंचन , रेनन
11	शिवपुरी	सिंध , पार्वती ,कूनो , बेतवा
12	टीकमगढ	जामनी , बेतवा , धसान
13	उज्जैन	क्षिप्रा , गम्भीर , हटया , चम्बल ,
14	बालाघाट	बैनगंगा , बाघ , देव , चनई , घिसरा , बंजर
15	नरसिंहपुर	नर्मदा , शेर , वरूरेवा , सिंगरी , माचा , शक्कर , दुधी , उमर , सितारेवा , बरंज
16	भिंड	चंबल , कुंवारी , सिंध , पहुज , बेसली , मृगा , मुजाबरसाती , पनाबरसाती ,
17	झाबुआ	नर्मदा , माही , हतनि , अनास
18	पन्ना	केन , व्यरमा , सुनार , पतने ,रूंज , बागे , विलाद , मेढासन , गलको , त्रिआलोनी , किलकिला , सिरदा ,गुढ़ने (बरसाती) ,टिर्री (बरसाती) ,सिहारन (बरसाती)
19	मंदसौर	शिवना , सोमली , तुम्बड़ , चंबल ,रेतम .रेवा
20	बड़वानी	नर्मदा ,बोराड़ , गोई , डेब , रूपा
21	देवास	नर्मदा , काली सिंध ,क्षिप्रा
22	हरदा	नर्मदा , माचक
23	जबलपुर	नर्मदा
24	श्योपुर कलॉ	चम्बल ,पार्वती धोबिनी ,पार्वती (जलालपुरा झोपड़ी) , कूनो ,गेंदली ,सरारी ,पारस ,कदवाल ,कल्हारी ,दोनी ,बरना ,कुवांरी ,सीप ,उन्हेला ,बरन
25	सिहोर	उलझावन , पार्वती
26	भोपाल	कालियासोत
27	राजगढ	नेवज , कालीसिंध , दूधी ,अजनार ,गाड़गंगा
28	शाजापुर	लखंदर , कालीसिंध ,पार्वती
29	गुना	सिंध ,पार्वती , बेतवा
30	सिवनी	वैनगंगा , तेमूर
31	धार	नर्मदा , मान ,चम्बल
32	डिन्डोरी	नर्मदा , सिलगी
33	सतना	टोन्स , सतना ,पैसुनी ,बरूआ ,घुसुडू
34	सागर	बेवस ,बीना ,सोनार ,वामना ,धसान ,कैथ गदेरी ,बेतवा ,झुनकू ,कोपरा ,वराज ,देहार ,सुखचेन ,वाकरई, भूरी
35	विदिशा	बेतवा
36	रतलाम	माही
37	नीमच	चम्बल
38	इंदौर	चम्बल
39	कटनी	महानदी , कटनी
40	ग्वलियर	सिंध
41	मुरेना	कुवारी , आसन
42	रीवा	टमस ,वेलन , महाना
43	रायसेन	नर्मदा , बेतवा ,कोडी
44	अशोक नगर	बेतवा ,पार्वती
45	बुरहानपुर	ताप्ती
46	अनूपपुर	नर्मदा , सोन , जोहिल्ला
47	खण्डवा	नर्मदा
48	उमरिया	

परिशिष्ट–2

बाढ़ उन्मुख जिले

पिछले 25 वर्षो में से 6 से 11 वर्षो तक प्रभावित जिलों के नाम

क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	जिले का नाम
1	ग्वालियर	19	धार
2	मुरैना	20	बालाघाट
3	मंदसौर	21	सतना
4	गुना	22	रीवा
5	बुरहानपुर	23	छतरपुर
6	जबलपुर	24	शिवपुरी
7	नरसिंहपुर	25	झाबुआ
8	होशंगाबाद	26	सागर
9	दमोह	27	हरदा
10	विदिशा	28	बड़वानी
11	खण्डवा	29	श्योपुरकलां
12	देवास	30	नीमच
13	रायसेन	31	कटनी
14	मण्डला	32	डिंडोरी
15	छिन्दवाड़ा	33	राजगढ
16	बैतूल	34	अशोकनगर
17	रतलाम	35	शाजापुर
18	खरगौन	36	इंदौर